विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/866 दिनांक : 25-10-19

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय विधि महाविद्यालय,
लक्ष्मीबाई मार्ग,भोपाल चौराहा,देवास(म.प्र.)।

विषय :- विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक/REN13600593,दिनांक 06.11.2018

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता/निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 30.05.2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत गठित संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 24.06.2019 में प्रस्तुत किया गया :-

01. दिनांक 24.06.2019 में संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि,शासकीय विधि महाविद्यालय,देवास में सत्र 2019-20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं **एल.एल.बी.**पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा मान्य की गई तदनुसार महाविद्यालय को सत्र 2019-20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं उपरोक्त पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता दो माह में निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति करने की शर्त पर सशर्त प्रदान की जाये।"
02. संकायाध्यों की उक्त अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में सर्व प्रथम विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/168,दिनांक 27.07.2019,द्वारा निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पुर्ति किये जाने हेतु महाविद्यालय को निर्देशित किया गया।
03. विश्वविद्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के प्रतिउत्तर में महाविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/194/विधि/2019,दिनांक 02.08.2019 एवं 207/विधि/2019,दिनांक 08.08.2019,में कमियों की पूर्ति करने का उल्लेख किया गया एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।
04. महाविद्यालय द्वारा कमियों की पूर्ति किये जाने संबंधी प्रस्तुत दस्तावेजों को पुनःसंकायाध्यक्षो की समिति की बैठक दिनांक 11.09.2019 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि, महाविद्यालय द्वारा कमियों की पूर्ति से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर शासकीय विधि महाविद्यालय देवास को महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं एल.एल.बी. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता निरीक्षण समिति की अनुशंसानुसार प्रदान की जाये।

संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 11.09.2019 के कार्यविवरण का माननीय कुलपतिजी के अनुमोदनोपरंत विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति, की अनुशंसानुसार सत्र 2019-20 में आगामी आदेश तक महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं **एल.एल.बी.(त्रि वर्षीय पाठ्यक्रम)सीट संख्या 120** के साथ पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता, प्रदान की जाती है।

* **आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरंतरता हेतु नियमानुसार आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधी में करना सुनिश्चित करें।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

019/ 867

शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
क्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
सिल ऑफ इण्डिया,21 राउज़ ऐवेन्यू इन्स्टीट्यूशन
विद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उ
जी.स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,देवास।
सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्र
लाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
र सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उक्त पत्र व
का कष्ट करें।
सचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जै
नार्थ।

र

/Affili.Latt